2025/687

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

रामगोपाल बनाम तहसीलदार धोद

किस्म मुकदमा 136 LR मु.नं. 352 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा – पत्र
08/09/25	प्रार्थीगण रामगोपाल पुत्र आनंदी लाल, राम निवास पुत्र आनंदी लाल व श्रवण कुमार पुत्र आनंदी लाल समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण ग्राम भड़कासली तहसील धोद जिला सीकर द्वारा प्रस्तुत आवेदन बाबत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नाम को दुरूस्त करने के अनुसार वाके ग्राम भड़कासली पटवार हल्का नागवा तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. (नया) 20 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों में प्रार्थीगण के नाम की प्रविष्ठियां गोपाल पुत्र अन्नाराम, निवास पुत्र अन्नाराम व श्रवण पुत्र अन्नाराम दर्ज है, जो कि अशुद्ध है। जबकि प्रार्थीगण के नाम की सही प्रविष्ठियां क्रमशः रामगोपाल पुत्र आनंदी लाल, राम निवास पुत्र आनंदी लाल व श्रवण कुमार पुत्र आनंदी लाल है। प्रार्थीगण के नाम से बने दस्तावेजात की प्रस्तुत प्रतियों में प्रार्थीगण के नाम की उक्त प्रविष्ठियां क्रमशः रामगोपाल पुत्र आनंदी लाल, राम निवास पुत्र आनंदी लाल व श्रवण कुमार पुत्र आनंदी लाल अंकित है, जो कि सही है। अतः उक्त वर्णित वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों के नाम की प्रविष्ठियां गोपाल पुत्र अन्नाराम, निवास पुत्र अन्नाराम व श्रवण पुत्र अन्नाराम के स्थान पर सही प्रविष्ठियां क्रमशः रामगोपाल पुत्र आनंदी लाल, राम निवास पुत्र आनंदी लाल व श्रवण कुमार पुत्र आनंदी लाल दुरूस्त किया जावें। प्रकरण में प्रार्थीगण के अनुतोष के संबंध में तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./2025/1303 दिनांक 10.07.2025 के द्वारा दुरूस्ती संबंधी रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात प्राप्त हुई। उक्त रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात आदि का अवलोकन किया। उक्त रिपोर्ट मुताबिक प्रार्थीगण के अनुतोष के अनुसार सही है। प्रार्थना–पत्र अ.धा. 136 एल आर एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर किया जावें। अतः प्रार्थीगण का आवेदन तहसीलदार, धोद की उक्त रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम भड़कासली पटवार हल्का नागवा तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. (नया) 20 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों में प्रार्थीगण के नाम की प्रविष्ठियां गोपाल पुत्र अन्नाराम, निवास पुत्र अन्नाराम व श्रवण पुत्र अन्नाराम के स्थान पर सही प्रविष्ठियां क्रमशः रामगोपाल पुत्र आनंदी लाल, राम निवास पुत्र आनंदी लाल व श्रवण कुमार पुत्र आनंदी लाल दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए संबंधित खातेदारान/प्रार्थीगण स्वयं जिम्मेदार होंगे। तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./2025/1303 दिनांक 10.07.2025 के द्वारा प्राप्त दुरूस्ती संबंधी रिपोर्ट आदेश का अभिन्न अंग रहेगी। पालनार्थ तहसीलदार, धोद को लिखा जावें। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर उपखण्ड अधिकारी धोद जिला-सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जिला–सीकर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.09.09 12:48:47 IST
Reason: SelfAttested